

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2009

(आय-कर)

का.आ. 21(अ).—केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ग की उप-धारा (2) के खंड (15) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक (कर बचत) सावधि जमा स्कीम, 2008 को विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

2. यह अधिसूचना इसके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

[अधिसूचना सं. 03/2009/फा. सं. 149/72/2008-टीपीएल]

मनीष सरीन, अवर सचिव